राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 80 / 2023

प्रार्थीगण :– **बनाम**

1. श्री बाबुराम पुत्र मुकनाराम
2. श्री गिरधारीलाल पुत्र बाबुराम जातियान माली, निवासीयान बोरावास, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत तिलवाड़ा, पंचायत समिति बालोतरा, जिला बाालोतरा
2. श्री नरसींगराम पुत्र मुकनाराम
3. श्री अशोक कुमार पुत्र नरसींगराम
4. श्री खेताराम पुत्र नरसींगराम जातियान माली, निवासीयान बोरावास, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 14 दिनांक 02.10.2020 जो अप्रार्थी सं. 03, 04 के नाम ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भुपेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 09.07.2024

1. प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 02.10.2020 के विरूद्ध दिनांक 12.04.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम तिलवाड़ा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 14 दिनांक 02.10.2020 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची

जिला कलक्टर
बालोतरा

मे वर्णित अनुसार 222.22 वर्गगज दर्शाया गया है। जिनके नाप पड़ौस बदिशा उत्तर में नरसींगाराम पुत्र मुकनाराम माली व 50, दक्षिण में घेवरराम पुत्र भोमाराम माली व 50 फीट, पूर्व में आम रास्ता व 40 फीट, पश्चिम में बाबुराम पुत्र मुकनाराम माली व 40 फीट अवस्थित है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत तिलवाड़ा से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 04 की ओर अधिवक्ता ने जवाब में कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड मौजा राजस्व गांव बोरावास की आबादी भूमि में अवस्थित है। उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 व उसके पुत्रान अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के मालिकाना स्वामित्व का कब्जा सुदा भुखण्ड है। उक्त भूखण्ड पर नरसिंगाराम व उनके पत्र अशोक कुमार व खेताराम का कब्जा 50 वर्षों से बिना किसी दखल के संयुक्त रूप से कब्जा के आधार पर पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत विधिसम्मत रूप से उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी सहुलियत एवं आवश्यकता अनुसार भुखण्ड के आधे भाग के पट्टा अपने पुत्र अशोक कुमार व खेताराम के नाम से व आधे भुखण्ड का पट्टा अपने स्वयं के नाम से प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत तिलवाड़ा से जारी करवाया। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थीगण 2 ता 4 का कच्चा झुप्पा, पानी का टांका बने हुए है। प्रार्थीगण की नियत उक्त भूखण्ड को हड़प करने की रही है एवं भूखण्ड पर कब्जा कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 द्वारा श्री सिविल न्यायालय बालोतरा में वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं स्थगन आदेश की अवज्ञा करने के कारण कोर्ट ऑफ कन्टेंट की कार्यवाही विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत, झुठे व निराधार तथ्यों पर आधरित तथा सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है, जो निगरानी को खारीज की जाए।

5. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का कब्जासुदा भूखण्ड मौजा बोरावास की आबादी भूमि पर आया हुआ है, जिनका नाप व पड़ौस बदिशा उतर में रास्ता व 69 फीट, बदिशा दक्षिण में घेवरराम भोमाराम माली व 70 फीट, पूर्व मे रास्ता व 72 फीट

जिला कलक्टर
बालोतरा

तथा पश्चिम में प्रार्थीगण का सामिल भूखण्ड व 84 फीट आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के नाम जारी किया है, जो कि अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 दोनो सगे भाई व पिता है। पंचायतीराज नियमानुसार किसी परिसर पर व्यक्ति का अस्थाई मकान/कच्चे मकान सं संनिर्माण के रूप में आबादी भूमि पर कब्जा होना आवश्यक है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का उक्त विवादित भूखण्ड पर आज दिन तक कोई कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 3 व 4 व अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे स्वामित्व का न होकर प्रार्थी का कब्जा व स्वामित्व का है। उक्त पट्टा कोविड 19 महामारी के समय जारी किया गया, जबकि केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार पंचायत की बैठके भी स्थगित थी। इस कोराना काल में केवल अप्रार्थी के परिवार के ही रसीद काटी गई। उक्त पट्टा जो जारी किया गया है, वो पंचायतीराज नियम 157(क) के तहत जारी किया गया है, जो कि 50 वर्ष का कब्जा होना चाहिए, लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 की आयु 38 वर्ष है। उक्त आलोच्य भूखण्ड वर्तमान में खाली है, जो चार दिवारी प्रार्थी द्वारा बनाई जा रही है। जिस नाप व पड़ौस का उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया, ऐसा नाप व पड़ौस मौके पर मेल ही नहीं खाते हैं, इस हेतु दीवानी वाद अप्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य भूखण्ड के संबंध में प्रकरण सिविल न्यायाधीश बालोतरा में विचाराधीन है एवं मौका कमिश्नर द्वारा मौका रिपोर्ट में नाप व पड़ौस में मेल नहीं खाते है। आवेदन दिनांक मूल पट्टे व आवेदन पत्र में अंतर है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम उक्त आलोच्य भूखण्ड का पट्टा विधि विरूद्ध जाकर जारी किया गया है, जिससे आलोच्य पट्टा निरस्त योग्य है।

6. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने जो आवेदन किया है, उसके साथ जो नक्शा बनाया है, वो नक्शा किसने बनाया इसका कोई अंकन नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जो आलोच्य पट्टा जारी किया है, उसमें पंचायती राज अधिनियम नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक में अंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत एक नोटिस एक माह के भीतर आक्षप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था, लेकिन किसी प्रकार का सार्वजनिक सूचना या नोटिस वादग्रस्त भूखण्ड, चौराहे आदि पर चस्पा नहीं किया गया है। श्रीमान जिलाधीश बाड़मेर के आदेश दिनांक 11.12.1974 में भूखण्डों का पत्थरों से चिन्हिंत करना था, लेकिन उक्त आलोच्य भूखण्ड पर आज दिन तक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का कब्जा होने के कारण उक्त विवादित भूखण्ड पर चिन्हित नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने उक्त आलोच्य पट्टे के लिए जो आवेदन पेश किया है, उसमें अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मिसल कायम करने की कोई तारीख अंकित नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त आलोच्य पट्टा पूर्णतया विधि के प्रतिकूल, अवैधानिक, अनियमित तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित

प्रावधानों के विरूद्ध जाकर जारी किया गया है, जिससे आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि उक्त भूखण्ड मौजा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के स्वामित्व व आधिपत्य का कब्जासुदा भूखण्ड मौजा बोरावास की आबादी भूमि पर आया हुआ है। उक्त आलोच्य भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 व उसके पुत्रान अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 का विगत 50 वर्षों से मालिकाना स्वामित्व रहा है। उक्त आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी सहुलियत एवं आवश्यकता अनुसार उक्त आलोच्य भुखण्ड के आधे भाग का पट्टा अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम एवं आधे भुखण्ड का पट्टा अपने स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी करवाने हेतु ग्राम पंचायत तिलवाड़ा में आवेदन किया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियमों की पालना करते हुए नियम 157(1) तहत सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपना कर एवं विधिसम्मत रूप से उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीगण ने कथन किया कि उक्त आलोच्य पट्टा फर्जी व जाली तरीके से जारी किया गया है, अगर अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर उक्त पट्टे जारी करवाया होता तो, प्रार्थीगण अवश्य धोखाधडत्री व कुटरचना के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाता। प्रार्थीगण व उसके सहयोगी द्वारा दिनांक 05.11.2022 को रात्रि में अवैध तरीके से उक्त आलोच्य भूखण्ड में घुसकर अतिक्रमण करने लगे एवं लड़ाई झगड़े किए गए, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय बालोतरा में वाद संख्या 14/2022 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के वाद संख्या 33/2022 विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थी की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज खारिज योग्य है।

8. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उक्त विवादित भूखण्ड अप्रार्थीगण के पैतृक स्वामित्व का न होकर प्रार्थीगण के स्वामित्व का है, जो उक्त पट्टा कोविड 19 महामारी के समय जारी किया गया है, जिसका आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का मौका निरीक्षण नहीं किया तथा न ही सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस प्रकाशित किया जिसके अभाव मे पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही दूषित होने से आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त योग्य हैं। साथ ही कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड जिस नाप व पड़ौस का पट्टा जारी किया गया, ऐसा नाप व पड़ौस मौके पर मेल ही नहीं

जिला कलक्टर
बालोतरा

खाते हैं एवं मौका कमिश्नर द्वारा मौका रिपोर्ट में नाप व पड़ौस में मेल नहीं खाते है तथा प्रार्थीगण के आवेदन दिनांक मूल पट्टे व आवेदन पत्र में अंतर है। इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत तिलवाड़ा से तलब किया गया अभिलेख का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने दिनांक 21.07.2020 को सरपंच, ग्राम पंचायत तिलवाड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आबादी मे अपने कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने का निवेदन किया, जिस पर पत्रावली संधारित की जाकर मौका कमेटी से निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने की आदेशिका जारी हुई है। इसके पश्चात दिनांक 05.08.2020 को तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट पेश हुई जिसमे अप्रार्थी के पक्ष मे नियम 157(1) के तहत नियमितीकरण की सिफारिश की गई। मौका निरीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की जाकर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया जिस पर निर्धारित अवधि मे कोई आपत्ति पेश नहीं होने पर दिनांक 02.10.2020 को पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के संपूर्ण नियम का विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर उक्त आलोच्य पट्टा नियम 157(1) के तहत उक्त आलोच्य पट्टा सं. 14 दिनांक 02.10.2020 को जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता, अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है। जहां तक प्रार्थी का कथन हैं कि उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थीगण का एकल स्वामित्व कब्जा नियमित रूप से स्वामित्व का कब्जा कायम रहा है, तो इसके समर्थन मे प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हों कि भूखण्ड प्रार्थीगण का हैं। ऐसे मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 14 दिनांक 02.10.2020 को बहाल रखते हुए प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होना पाये जाने से खारिज किया जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा